सं0-80/2015/1891/62-2-2015-2/3(05)/2015

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 30 जून,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना की मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त तथा व्यय किये किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-547/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2015-16, दिनांक 01-04-2015 व पत्र सं0-जी-132/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/2015-16, दिनांक 13-05-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना की मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में कुल प्राविधानित धनराशि `-25.00 लाख के सापेक्ष तीन अदद सुपरवाइजरी वाहन रिप्लेसमेनट के आधार पर क्रय हेतु (एक अदद मारूति स्विफट डिजायर VXI (पेट्रोल) तथा दो बोलेरो जीप बी एस IV (डीजल) के क्रय हेतु `-18.22 लाख (रूपये अठारह लाख बाइस हजार मात्र) को व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर किया जाय।

(2) वाहन क्रय के संबंध में लघु उघोग विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में विहित व्यवस्था का अनुपालन किया जाय।

(3) वाहन प्रतिस्थापन के संबंध में संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार वाहन क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना-मद-14-मोटर गाडियों का क्रय"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

सं0-80/2015/1891(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।